भारत सरकार **लोकसभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3788**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम

3788. श्री अजय कुमार मंडल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के भागलपुर से जर्दालू आमों (जीआई टैग) का निर्यात मौसम की अनिश्चितताओं, वैश्विक प्रतिबंधों और संभार-तंत्र संबंधी लागतों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है;

(ख) क्या बेमौसम गर्मी और वर्षा के कारण फसलों का नुकसान हुआ है तथा निर्यात योग्य अधिशेष में गिरावट आई है;

(ग) खाड़ी और यूरोपीय देशों में पादप स्वच्छता मानदंडों, संगरोध संबंधी नियमों और कीटनाशक अवशेष सीमाओं से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं;

(घ) क्या किसान विमान माल भाड़े की अत्यधिक दरों और वाष्प ऊष्मा उपचार या शीत शृंखला अवसंरचना की स्थानीय कमी से प्रभावित हैं और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा निर्यात संवर्धन, नए बाजारों की खोज, अवसंरचना विकास तथा वित्तीय राजसहायता प्रदान करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख) सरकार को बिहार के भागलपुर से जर्दालू आम (जीआई टैग) के निर्यात के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, जो मौसम की अनिश्चितताओं, वैश्विक प्रतिबंधों और लॉजिस्टिक लागतों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है और बेमौसम गर्मी और वर्षा के कारण फसल का नुकसान हुआ है और जर्दालू आमों के निर्यात योग्य अधिशेष में गिरावट आई है।

(ग) से (ङ) आम जैसे फलों से जुड़े कीट जोखिमों को कम करने के लिए पादप-स्वच्छता मानदंडों और क्वारंटाइन रेगुलेशन का अनुपालन करने के लिए, आयात करने वाले देश के साथ सहमत प्रोटोकॉल के अनुसार वाष्प ताप उपचार (वीएचटी), विकिरण और गर्म पानी उपचार (एचडब्ल्यूटी) जैसे उपचार प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है

सभी गंतव्यों के लिए आम के निर्यात के लिए वाष्प ताप उपचार (वीएचटी) अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में, जर्दालू आमों का निर्यात खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों में किया जा रहा है, जिसमें अनुपालन सामान्य पादप स्वच्छता उपायों तक ही सीमित है, इसलिए इन बाजारों में निर्यात के लिए विनियामक अनुपालन के लिए वीएचटी या गर्म जल उपचार (एचडब्ल्यूटी) जैसे पूरक शमन उपायों की आवश्यकता नहीं है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को कीटनाशक अवशेषों की सीमा के संबंध में यूरोपीय संघ या खाड़ी देशों से जर्दालू आमों से संबंधित कोई गैर-अनुपालन अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्गो लॉजिस्टिक्स और संबद्ध सेवा कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) पटना हवाई अड्डे पर कोल्ड स्टोरेज सुविधा के साथ-साथ अपने नवनिर्मित डोमेस्टिक एयर कार्गो टर्मिनल के माध्यम से पटना में घरेलू एयर कार्गो की आवाजाही की सुविधा प्रदान कर रहा है, जो दिनांक 25.02.2025 से परिचालित है, जिसकी वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता 21,900 एमटी है।

वाणिज्य विभाग द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से भागलपुर सहित देशभर के हितधारकों को आम सहित इसके अनुसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) के अंतर्गत तीन घटकों, अर्थात् निर्यात अवसंरचना का विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास, के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो निर्यात अनुपालन अवसंरचना को सुदृढ़ करने, बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा नए गंतव्यों तक निर्यात के विस्तार को सुगम बनाने की दिशा में कार्य करती है।

विशेष रूप से जर्दालू आम के निर्यात संवर्धन के लिए, एपीडा ने बिहार सरकार के समन्वय से निम्नलिखित पहलें की हैं, जैसे कि विदेशी बाजारों तथा आम संवर्धन संबंधी आयोजनों में जर्दालू आमों का प्रदर्शन और प्रचार-प्रसार; किसानों और निर्यातकों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण; तथा वर्ष 2026 में जीआई-टैग प्राप्त जर्दालू आमों की यूके और मध्य पूर्वी बाजारों सहित अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए परीक्षण एवं वाणिज्यिक निर्यात खेपों को भेजना।
